

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या 629 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017
देहरादून:: दिनांक :: 03 अगस्त, 2017

अधिसूचना / शुद्धिपत्र

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात् -

अनुसूची में,-

(एक) क्रम सं0 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये;

(दो) क्रम सं0 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 629 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अदिलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।


अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वित्तिय कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

4391
04/08/2017


05/08/17

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ⁶²⁹ / 2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated ⁰³ August, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. ⁶²⁹ / 2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: ⁰³ August, 2017

Notification/ Corrigendum

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient to do so in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, is pleased to allow to make the following amendments in the Notification No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 issued by the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, namely:-

In the Schedule,-

- (i) in S.No.59, in column (2), for "9", read "7, 9 or 10";
- (ii) in S.No.102, in column (2), for "2302", read "2301,2302".

Handwritten mark


(Amit Singh Negi)
Secretary